

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रमेश कुमार पुत्र राजेराम वनाम 1. राजेराम पुत्र कैसराराम  
जानि जाट निवासी निनाण 2. कृष्ण कुमार पुत्र-प्रतियान  
दावा बाबत :- 88 RT Act 3. भूपसिंह राजेराम  
4. सरस्वती जाट सा निनाण  
मुकदमा नम्बर :- 5. तहसीलदार राजस्व भादरा  
निर्णय दिनांक :- 30/11/2021

वादी की ओर से वकील पवन सिहाग की व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से वकील रामचन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 6 JAW के खाता संख्या 106/97 के सु.न. 57 के किला न. 1 ता 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8 ता 10 इस प्रकार कुल किला 13 की कुल 2.455 है नहरी मयखाला प्रतिवादी राजेराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 AMS के खाता संख्या 70/61 के सु.न. 52 के किला न. 25/2 की कुल 0.240 है नहरी प्रतिवादी राजेराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी रमेश कुमार, प्रतिवादी सं० 1 राजेराम, प्रतिवादी सं० 2 कृष्ण कुमार, प्रतिवादी सं० 3 भूपसिंह की वहिस्सा बराबर के खातेदार कावतकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ने वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में सम्पूर्ण हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्लाम्प ड्यूटी उठाना हो। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन उक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 30/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़